

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275195
SG-DL-E-04082026-275195असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 142
No. 212]	DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948	[N. C. T. D. No. 142

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली मेडिकल काउंसिल

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

फा. सं. डीएमसी/पंजी0/एफ.2/2/2026/340819.—दिनांक 15 मई, 2026 की अधिसूचना संख्या फा0 डीएमसी/पंजी0/एफ.2/2/2026/339674 के संदर्भ में, उक्त अधिसूचना के अंतिम अनुच्छेद में "विचारित" शब्द के स्थान पर "पात्र" शब्द को प्रतिस्थापित करते हुए संशोधित किया जाता है। तदनुसार, अंतिम अनुच्छेद को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अब, इसलिए, एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रैक्टिस करने के इच्छुक आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली (एलोपैथी) के प्रैक्टिशनरों को सूचित किया जाता है कि कोई आवेदक जो भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी) या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) या भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीकृत है तथा दिल्ली चिकित्सा परिषद में पंजीकरण कराना चाहता है, वह ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा प्रस्तुत

की गई स्व-घोषणा के आधार पर दिल्ली चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1997 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होगा।

दिल्ली चिकित्सा परिषद को कोई अतिरिक्त वचनबद्धता/अनुमोदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

डॉ. विनोद कुमार, डीजीएचएस (एल/ओ) और रजिस्ट्रार डीएमसी

DELHI MEDICAL COUNCIL

NOTIFICATION

Delhi, the 30th July, 2026

F. No. DMC/Reg./F.2/2/2026/340819.—With reference to the Notification No. F. No. DMC/ Reg./ F.2/2/2026/339674 dated 15 May 2026, the last paragraph of the said notification stands amended by substituting the word "considered" with "eligible". Accordingly, the last paragraph shall be read as under:

Now, therefore, it is hereby informed to practitioners of modern scientific system of medicine (allopathy) who intends to practice in the NCT of Delhi that an applicant who is registered with any State Medical Council (SMC) of any state or Union Territory in India, or the National Medical Register (NMR) or any other National Register recognized by the Government of India and seeks registration with the Delhi Medical Council shall be eligible for registration under the Delhi Medical Council Act, 1997 on the basis of the self-declaration furnished by the applicant in the online application form.

No additional undertaking/approval is required to be submitted to the Delhi Medical Council.

Dr. VINOD KUMAR, DGHS(L/O)& Registrar DMC